



Neutral Citation No. - 2026:AHC:175590

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 29292 वर्ष 2026

राम मिलन एवं एक अन्य

.....आवेदकगण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिपक्षी

आवेदकगण के अधिवक्ता

: राज करण यादव

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता

: जी.ए.

न्यायालय संख्या - 66

माननीय न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल

1. आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता श्री राज करण यादव, राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. श्री रोशन कुमार सिंह को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।
2. वर्तमान जमानत आवेदन मुकदमा अपराध संख्या 56 वर्ष 2026, धारा 80(2), 85 बी.एन.एस. तथा धारा 3 एवं 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, थाना कालिंजर, जिला-बांदा में विचारण के दौरान आवेदकगण को जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।
3. आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक संख्या 1 मृतका का ससुर तथा आवेदक संख्या 2 मृतका की सास है, जिसने घरेलू मामलों को लेकर हुए मामूली विवाद के बाद स्वयं जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट 22 दिनों के पश्चात दर्ज की गई। आवेदकगण को केवल मृतका के ससुर एवं सास होने के कारण झूठा फंसाया गया है,

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



जबकि उनके विरुद्ध यह दर्शाने के लिए पर्याप्त सामग्री नहीं है कि उन्होंने मृत्यु से पूर्व दहेज की मांग पूरी न होने के कारण मृतका को प्रताड़ित किया था। आवेदकगण को परिवार के अन्य सदस्यों के साथ सामान्य एवं अस्पष्ट आरोप लगाकर झूठा फंसाया गया है। आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि विवाह के 7 वर्ष के भीतर अप्राकृतिक परिस्थितियों में मृत्यु होने के मामले में दहेज मृत्यु की उपधारणा लागू करने के लिए यह दर्शाने हेतु पर्याप्त सामग्री होनी चाहिए कि मृतका को मृत्यु से ठीक पहले क्रूरता का शिकार बनाया गया था, किंतु ऐसी कोई सामग्री उपलब्ध नहीं है। अंत में यह प्रस्तुत किया गया है कि पुलिस द्वारा आरोप-पत्र दाखिल किया जा चुका है, अतः हिरासत में लेकर पूछताछ की कोई आवश्यकता नहीं है। आवेदकगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है तथा आवेदक संख्या 1 दिनांक 03.04.2026 से और आवेदक संख्या 2 दिनांक 08.05.2026 से जेल में निरुद्ध हैं। यदि उन्हें जमानत प्रदान की जाती है, तो वे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेंगे तथा विचारण की कार्यवाही में सहयोग करेंगे।

4. दूसरी ओर, राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया, किंतु उपर्युक्त तथ्यों का खंडन नहीं कर सके।

5. मामले के संपूर्ण तथ्यों एवं परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की प्रस्तुतियों पर विचार करते हुए तथा अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, आरोपी की संलिप्तता (ससुर एवं सास) को दृष्टिगत रखते हुए और जेलों में अत्यधिक भीड़ तथा विचारण न्यायालयों के समक्ष लंबित आपराधिक मामलों की भारी संख्या को ध्यान में रखते हुए, साथ ही **कपिल वाधवान बनाम सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन**, प्रकाशित है, **2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 3038** के मामले में शीर्ष न्यायालय के निर्णय के अधिदेश तथा जमानत प्रदान किए जाने के संबंध में इस न्यायालय द्वारा **माया तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य**, प्रकाशित है, **2024 एससीसी ऑनलाइन इलाहाबाद 6765** के

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



मामले में निर्धारित दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए तथा मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मेरा मत है कि आवेदक जमानत पर रिहा किए जाने के अधिकारी हैं। तदनुसार, वर्तमान आवेदन स्वीकार किया जाता है।

6. आवेदकगण-**राम मिलन एवं रामप्यारी**, जो उपर्युक्त अपराध में सम्मिलित हैं, को व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान राशि के दो-दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए, निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:-

i. आवेदकगण मामले के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेंगे, जिससे वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख हो जाए अथवा साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करे।

ii. आवेदकगण बिना किसी स्थगन की मांग किए, विचारण/विवेचना में ईमानदारीपूर्वक सहयोग करेंगे।

iii. आवेदकगण जमानत पर रिहा होने के पश्चात किसी आपराधिक गतिविधि अथवा किसी अपराध के किए जाने में संलिप्त नहीं होंगे।

iv. आवेदकगण निष्पादित बंधपत्र की शर्तों के अनुसार उपस्थित होंगे।

7. उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, यह जमानत निरस्त किए जाने का आधार होगा।

8. आवेदकगण एवं जमानतदारों की पहचान, स्थिति एवं निवास संबंधी प्रमाण को बंधपत्र स्वीकार किए जाने से पूर्व संबंधित न्यायालय द्वारा सत्यापित किया जाए।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



9. आवेदकगण एवं जमानतदारों के मोबाइल नंबर तथा आधार कार्ड का सत्यापन भी संबंधित न्यायालय द्वारा किया जाए।
10. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदकगण को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट से इस आदेश की डाउनलोड की गई प्रति के आधार पर, संबंधित अधिवक्ता द्वारा सत्यापित किए जाने पर, इस शपथ के साथ रिहा किया जाएगा कि प्रमाणित प्रति 15 दिनों के भीतर दाखिल कर दी जाएगी।
11. निर्देशित किया जाता है कि विचारण न्यायालय आवेदकगण की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित करने के लिए बेल ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम (बी.ओ.एम.एस.) के माध्यम से रिहाई आदेश संबंधित जेल को भेजे।
12. कार्यालय को निर्देशित किया जाता है कि शीर्ष न्यायालय के **पॉलिसी स्ट्रेटेजी फॉर ग्रांट ऑफ बेल, इन री: सूओ मोटू रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 4 वर्ष 2021, दिनांक 31.01.2023** को निर्णीत, (2024) 10 एससीसी 685 के मामले में दिए गए आदेशों के अनुपालन में तथा **पिला पाहन @ पीला पाहन एवं अन्य बनाम झारखंड राज्य एवं एक अन्य, रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 169 वर्ष 2025, दिनांक 29.05.2026** को निर्णीत, के मामले में दिए गए आदेश के अनुपालन में, इस आदेश की एक प्रति **बांदा जेल अधीक्षक** के माध्यम से ई-मेल अथवा ई-प्रिजन पोर्टल के जरिए आवेदकगण को तथा ई-मोड के माध्यम से विचारण न्यायालय को 24 घंटे के भीतर भेजी जाए।
13. यदि कोई आवेदन लंबित है, तो वह निस्तारित माना जाए।

(न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल)

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



19 अगस्त, 2026

ए.क्र.

Translated Version. Not For Legal Use.

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”